

पत्रांक-1/ब0 1-09/2026-53...../

बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

प्रेषक,

महमूद आलम,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)
कला एवं संस्कृति विभाग,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक 07/04/2026

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में निधि का आवंटन।

महाशय,

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट शीर्ष "2205-कला एवं संस्कृति-001-निदेशन और प्रशासन- 0001-कला और संस्कृति का संवर्धन," विपत्र कोड 08-2205000010001, मांग संख्या-08 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में निम्नांकित रूप से तत्काल कुल राशि ₹ 38,00,000/- (अड़तीस लाख रूपये) मात्र का आवंटन आपके निस्ताराधीन व्यय के लिए सौंपा जाता है:-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व आवंटन	तत्काल आवंटन	कुल आवंटन	शेष उपबंध
1101-यात्रा व्यय	1000000	0	100000	100000	900000
1301-कार्यालय व्यय	20000000	0	1500000	1500000	18500000
1310-भाड़े की गाड़ी का भुगतान	25000000	0	1000000	1000000	24000000
2802-संविदा सेवाएँ	23000000	0	1200000	1200000	21800000
योग -	69000000	0	3800000	3800000	65200000

तत्काल आवंटित राशि ₹ 38,00,000/- (अड़तीस लाख रूपये) मात्र।

2 यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं 236/वि0, दि0 09.03.2026 एवं 314/वि0 दिनांक 01.04.2026 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिसूचना 33 प्रतिशत के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

3 राशि की निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार लोक निर्माण संहिता एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्पों, पत्रों के आलोक में किया जायेगा।

4 प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापक.....53...../

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापक.....53...../

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/लेखा शाखा/आई0 टी0 मैनेजर, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन



(महमूद आलम)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक 07/04/2026

कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को



सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक 07/04/2026

लेखा शाखा/आई0 टी0 मैनेजर, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।